(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 21/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री अशोक कुमार मेहता पुत्र भौलाराम मेहता उम्र 28 वर्ष जाति धाकड निवासी इन्द्रा कॉलोनी समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारॉ (मालिक व विक्रेता) मैसर्स भौला प्रोविजन स्टोर बारॉ रोड समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारॉ

2– श्रीमती सुनिता जैन पत्नि अरविन्द जैन (प्रोपराईटर) मैसर्स कल्प एजेन्सीज, दीन दयाल पार्क खजूरपुरा तिराहा बारॉ

3– श्री दिलीप कुमार हेमनानी पुत्र परसराम हेमनानी निवासी 181, शॉपिंग सेन्टर कोटा। मैसर्स सुमित ऐजेन्सी 181, शॉपिंग सेन्टर कोटा।

4– श्री सुनिल कुमार गौत्तम पुत्र जगमाल निवासी 130 देरी मच्छा ग्राम धरमानिकपुर, थाना दादरी, जिला गौत्तम बुद्व नगर उत्तर प्रदेश 203207 (नोमिनी) VRS FOOD LTD. Unit- VT ABC- 2, Malanpur Ind . Area, Dist. Bhind (M.P.) 477116

5– VRS FOOD LTD. Unit- VT ABC- 2, Malanpur Ind . Area, Dist. Bhind (M.P.) 477116

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री जितेन्द्र सिंह अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 30.12.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 3.12.2018 को मैसर्स भौला प्रोविजन स्टोर बारॉ रोड समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री अशोक कुमार मेहता पुत्र भौलाराम मेहता (मौक पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित थे, जिनकी उपस्थिति मे निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 3.12.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना [illegible] क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:10 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 500 मी.ली. पैक मे** विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 500 मी.ली. पैक** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 500 मी.ली. पैक** का 04 मूल पैकिट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री अशोक कुमार मेहता पुत्र भौलाराम मेहता (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 650/– रूपये (अक्षरे छः सौ पचास रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ देशी घी (पारस) 500 मी.ली. पैक के 04 मूल पैकिट को चार नमूना भागो मे अलग–अलग मूल पैकिट पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–884 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–884 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अशोक कुमार मेहता पुत्र भौलाराम मेहता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/20 19 दिनांक 21.1.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 776/FSSA /Kota/ Act/2018 /03 दिनांक 4.1.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 500 मी.ली. पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:10 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स भौला प्रोविजन स्टोर बारॉ रोड समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारॉ से पत्रांक 32 दिनांक 31.1.2019 से सूचना चाही गई। मैसर्स भौला प्रोविजन स्टोर बारॉ रोड समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारॉ द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञापत्र, आधारकार्ड एव क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 1.8.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मय अभिभाषक के उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 500 मी.ली. पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Misbranded**) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को दौहराते हुये कहा गया कि उक्त घी जांच रिपोर्ट मे सही पाया गया है जिसकी किसी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नही की गई है ओर कोई व्यक्ति घी को खाने से बीमार भी नही हुआ है। उक्त घी मिथ्याछाप होना जांच रिपोर्ट मे अंकित किया गया है जिसे भी दुरूस्त किया जा चुका है। जिसकी प्रति भी पत्रावली मे शामिल करवा दी गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दूसरे प्रकरण ओम प्रकार नटानी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मे राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ ने आपराधिक रिट याचिका कमांक 287/2014 दिनांक 19.2.2015 मे माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शब्द '' के अन्दर '' जोडा गया था परन्तु यह आशय नही बदलता है अतः इसे कडे शब्दो मे एक गलत ब्रांडिग का प्रकरण होना नही कहा जा सकता है। विद्वान ए.ओ./ए.डी.एम. द्वारा पारित चुनौती दिये गये आदेश को निरस्त किया जाता है। यहॉ यह उल्लेख किया जाना उचित है कि सैंपल ली गई वस्तु मे पाई गई घोषणा पैकेजिंग की तारीख से 9 से पहले सबसे अच्छा थी, जिसमे कि उत्पाद की विशुद्वता के बारे मे ग्राहको को वांछित जानकारी की अपेक्षा कही अधिक जानकारी दी। अधिशेष समय के लिए तिथि का प्रयोग मात्र उत्तर देने वाले प्रतिवादीगणो को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नही लायेगाा। किसी भी प्रकार से यह नही कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति मात्रा गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि अथवा इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध मे गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 776/FSSA /Kota/ Act/2018 /03 दिनांक 4.1.2019 से असन्तुष्ट [illegible], तो अप्रार्थी कम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:10 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 500 मी.ली. पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 776/FSSA /Kota/ Act/2018 /03 दिनांक 4.1.2019 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1,2,3,4 प्रत्येक को 1000/– 1000/–रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 5 को 6000/– रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 10,000/– रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:10 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 15:58:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: